भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3359
दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कीटनाशक अवशेष की निगरानी

3359. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रमों का विस्तार करने और प्रयोगशाला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) सरकार किसानों द्वारा कीटनाशकों के ऑफ-लेबल और अत्यधिक उपयोग के मुद्दे को किस प्रकार हल करने की योजना बना रही है;

(ग) बाजार में नकली और अनियमित कीटनाशकों की बिक्री और वितरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार जैव-कीटनाशकों और एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) जैसे स्थायी विकल्प अपनाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन या सब्सिडी शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के अंतर्गत केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति, मानव या पशुओं हेतु जोखिम को रोकने के लिए प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद देश

में इसके निर्माण और उपयोग के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत कीटनाशकों को पंजीकृत करती है और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा अधिकतम अवशिष्ट सीमा के निर्धारण के बाद ही पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करती है।

एफएसएसएआई ने खाद्य वस्तुओं में कीटनाशक अवशिष्टों के परीक्षण के लिए सक्षम 159 प्राथमिक प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। एफएसएसएआई उच्च-स्तरीय उपकरणों की खरीद के लिए प्रयोगशालाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 'खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण' की योजना भी लागू करता है, जिससे खाद्य वस्तुओं में कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने खाद्य उत्पादों के ऑन-साइट परीक्षण के लिए 35 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 285 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा 'राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशिष्टों की निगरानी' परियोजना कार्यान्वित की गई है, जो एक चल रही परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य 35 सहभागी प्रयोगशालाओं द्वारा देश के विभिन्न भागों से नमूने एकत्र करके सब्जियों, फलों, मसालों, अनाजों, दालों, जड़ी-बूटियों, चाय और पानी आदि जैसे खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों के स्तर का निर्धारण करना है। कीटनाशक अवशिष्ट अवशिष्टों विश्लेषण के परिणाम सभी राज्यों के साथ साझा किए जाते हैं ताकि ऑफ-लेबल कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु किसानों को जागरूक और शिक्षित किया जा सके।

कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए, भारत सरकार एकीकृत कीट प्रबंधन की रणनीति को बढ़ावा देती है, जिसमें पारंपरिक और जैविक तरीकों के माध्यम से कीट प्रबंधन की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी निर्माता के परिसरों और बिक्री केन्द्रों से कीटनाशकों के नमूने एकत्र करने और निरीक्षण करने के लिए 12511 कीटनाशक निरीक्षकों की नियुक्ति की है, ताकि नकली और अनियमित कीटनाशकों की बिक्री की जांच की जा सके और देश भर में गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विभागों के माध्यम से किसानों में रसायनों के विकल्पों, जैसे जैव-कीटनाशी, बायो-स्टिम्युलेंट्स, आदि के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और किसानों को लेबल और लीफलेट पर दी गई मात्रा के अनुसार रासायनिक कीटनाशकों के आवश्यकता-आधारित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जानकारी प्रदान करता है ताकि कीटनाशकों के ऑफ-लेबल और अत्यधिक उपयोग की समस्या का समाधान किया जा सके। वर्ष 2024-25 में, देश भर में कुल 720 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 21,271 किसान लाभान्वित हुए।

*****